

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>एडवोकेट जयसिंह राठौड़. बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम, जोधपुर )</p> <p>सू.अ.अ.अपील सं० 202 / 2023 (ऑनलाईन )</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>24.08.23</p>	<p>अपीलार्थी एडवोकेट जयसिंह राठौड़, निवासी 140, वर्द्धमान नगर-बी, अजमेर रोड़, जयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.06.23 में उसके द्वारा (1) गांव बांजड़ा उर्फ बांजड़गढ से बीरावास सीमा को जोड़ने वाली डेढ किमी सड़क के डामरीकरण का कार्य करवाने के संबंध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.12.2022 को अपनी ई-मेल आईडी <a href="mailto:jaisinghji832@gmail.com">jaisinghji832@gmail.com</a> के जरिये <a href="mailto:jodhpur.collector@gmail.com">jodhpur.collector@gmail.com</a> पर जिला कलक्टर जोधपुर को सम्बोधित प्रतिवेदन दिनांकित 23.12.2022 पर आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही की सम्पूर्ण दस्तावेजी सूचनाएं (सम्पूर्ण कार्यालय टिप्पणी एवं पत्राचार इत्यादि) व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( कलक्टर कार्यालय जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 824 दिनांक 10.07.2023 सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि बिन्दु सं० 1 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित ई-मेल आईडी <a href="mailto:jaisinghji832@gmail.com">jaisinghji832@gmail.com</a> द्वारा जिला कलक्टर महो. की मेल आईडी <a href="mailto:jodhpur.collector@gmail.com">jodhpur.collector@gmail.com</a> पर दिनांक 23.12.2012 को कोई ई-मेल आईडी प्राप्त नहीं हुई है जबकि अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर की ई-मेल आईडी दिनांक 23.12.22 को 05.09.पी.एम. पर प्रेषित किया गया अतः प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा बिन्दु सं० 1 को जबाब दिया गया वो सरसरा गलत है। अपील में आगे कहा कि बिन्दु सं० 2 व 3 का सम्मिलित जबाब पेश किया गया जो बिना पढे दिया गया अतः गलत होने से अस्वीकार है। बिन्दु सं० 4 से संबंधित अपील प्रस्तुत किये जाने तक नहीं देना कहा।</p> <p>रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 988 दिनांक 11.08.23 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें व्यक्त किया कि गोपनीय शाखा जिला कलक्टर जोधपुर एवं आवक लिपिक कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक 824 दिनांक 10.07.23 द्वारा बिन्दु सं० 1 से 3 की सूचना प्रेषित की जा चुकी है</p> <p>बिन्दु सं० 4 से संबंधित सूचना प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार बिन्दु सं० 04 की सूचना राज्य सरकार (राजस्व विभाग ) जयपुर से संबंधित होने एवं उक्त विभाग से पृथक से आवेदन कर सूचना प्राप्त करने हेतु जरिये पत्रांक 1042 दिनांक लगातार...</p>	

23.08.23 भी प्रार्थी को प्रेषित किया जा चुका है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित तथ्यों से अवगत कराया जा चुका है, अतः इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।



( हिमाशु गुप्ता )

जिला कलेक्टर जोधपुर

जिला

कलेक्टर, जो

जोधपुर